रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 308] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 1975/कार्तिक 21, 1897
No. 308] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 1975/KARTIKA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November 1975

G.S.R 555(E).—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (No. 26 of 1973) and in supersession of the notification of the Government in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. G.S.R 313(E), dated the 12th June, 1973, the Central Government hereby directs that all the powers exercisable by it under the said Act may also be exercised by Lieutenant General K S Garewal, Chairman, Coal India Limited, Calcutta

[No F 101/18/73-C3/CAF (Vol IV)]

S B. LAL, Jt. Secy

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1975

सा० का० नि० 555 (अ).—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 33 (1973 का 26) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 313 (ई) दिनांक 12 जून, 1973 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा धारित सभी अधिकारों का प्रयोग कोल इंडिया लि० कलकत्ता के अध्यक्ष लेफ्ट० जनरल के० एल० गेवाल द्वारा भी किया जाएगा ।

[सं० फा० 101/18/73-सी 3/सी ए एफ (खंड 4)]

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975